छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19 नया रायपुर

!! आदेश !!

क्रमांक 18

दिनांक 8 / 1 /18

मण्डल में पदस्थ द्वितीय श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहन भत्ता, मोबाईल प्रतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता, अर्जित अवकाश, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, सेवा नियमितिकरण एवं समयमान-वेतनमान से संबंधित समस्त कार्यो की स्वीकृति हेतु समिति का गठन किया जाता है। समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें ।

1. सर्व अपर आयुक्त, मुख्यालय नया रायपुर – सदस्य
2. मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्यालय नया रायपुर – सदस्य
3. प्रशासकीय अधिकारी, मुख्यालय नया रायपुर – सदस्य

समिति के द्वारा प्रकरण में अनुशंसा पश्चात् प्रशासकीय अधिकारी के माध्यम से आदेश जारी किये जायेंगे । यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावशील होगा ।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

प्रशासकीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय पर्यावास भवन नया रायपुर

पृ. कमांक/ 84 /आ.आ./प्रशा./मुख्या/18 रायपुर, दिनांक 8 / 1 /2018

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ आफिसर, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन नया रायपुर।
2. स्टॉफ आफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन नया रायपुर।
3. अपर आयुक्त (जे/एम/व्ही) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन नया रायपुर।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन नया रायपुर।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन नया रायपुर।
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन नया रायपुर।
7. कार्यपालन अभियंता/वास्तुविद, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन नया रायपुर।
8. कार्यालयीन आदेश ।

प्रशासकीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय पर्यावास भवन नया रायपुर

Scanned by CamScanner